13.05.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया। जवाब दावा खेद किया जाता है। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक् से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे। तहसीलदार सीमलवाड़ा पालना कर रिपोर्ट प्रेषित करें।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा